28 जून, 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे हैदराबाद में आयोजित
प्राधिकरण की 113वीं बैठक के कार्यवृत्त

MINUTES OF THE 113th MEETING OF THE AUTHORITY

held on 28th June, 2021 at 11 AM at Hyderabad

उपस्थित/Present:

पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्रीमती टी एल अलमेलु/Smt. T L Alamelu
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्री के. गणेश /Shri K Ganesh
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा /Shri Parmod Kumar Arora
पूर्णकालिक सदस्य/Whole-time Member	श्रीमती एस एन राजेश्वरी/Smt. S N Rajeswari
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member	श्रीमती सुषमानाथ (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)/ Smt. Sushama Nath (through VC)
अंशकालिक सदस्य/Part-time Member	श्री अमित अग्रवाल (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से) /Shri Amit Agrawal (through VC)

भी उपस्थित/Also, present:

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	श्री सुरेश माथुर, कार्यकारी निदेशक /Shri Suresh Mathur, Executive Director

श्रीमती टी.एल. अलमेलु (पूर्णकालिक सदस्य) को आईआरडीएआई (बैठक) विनियम, 2000 के विनियम 3(6) में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, सभी सदस्यों द्वारा प्राधिकरण की 113वीं बैठक के लिए चेयरपर्सन चुना गया।
Smt. T L Alamelu (Whole-time Member) was chosen the Chairperson for the 113th meeting of the Authority by all the Members present, as per procedure prescribed in the Regulation3 (6) of the IRDAI (Meetings) Regulations 2000.

श्रीमती टी.एल. अलमेलु ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने श्री अमित अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय) का स्वागत किया जो अंशकालिक सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के पश्चात् पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे। उन्होंने डॉ. सुभाषचवद्र खुँटिया द्वारा, जिन्होंने 6 /5/2021 को पदभार त्यागा, भारतीय बीमा उद्योग को किये गये मूल्यवान योगदान को रिकार्ड किया। डॉ. खुंटिया ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेन्स सुपरवाइजर्स, बेसल, स्विट्जरलैण्ड की बजट समिति के चेयरपर्सन के रूप में भी सेवाएँ दीं। उन्होंने श्री देबाशीष पंडा, द्वारा प्राधिकरण के अल्पकालिक सदस्य के रूप में किये गये मूल्यवान योगदान को भी रिकार्ड में दर्ज किया।
Smt.T.L. Alamelu extended a warm welcome to the Members present. She welcomed Shri Amit Agrawal, Additional Secretary, Department of Financial Services (Ministry of Finance) who was attending the meeting for the first time after his appointment as Part-time

Member. She placed on record the valuable contributions, to Indian Insurance Industry, by Dr. Subhash Chandra Khuntia, who demitted office on 6/5/2021. Dr. Khuntia also served as the Chairperson of Budget Committee of International Association of Insurance Supervisors, Basel, Switzerland. She also placed on record the valuable contributions made by Shri Debashish Panda, Part-time Member of the Authority.

अंशकालिक सदस्य, श्री निहार एन. जाम्बुसरिया, अध्यक्ष, आईसीएआई को अनुपस्थिति का अवकाश मंजूर किया गया।
Leave of absence was granted to Part-time member, Shri Nihar N Jambusaria, President, ICAI.

यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि अपेक्षित कोरम उपलब्ध है, सुश्री टी.एल.अलमेलु ने विचार-विमर्श आरंभ किया।
After ascertaining that the requisite quorum was available, Ms. T L Alamelu started the deliberations.

कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श आरंभ हुआ।
The agenda items were then taken up for consideration.

7. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2021

7. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021

प्राधिकरण को सूचित किया गया कि भारतीय बीमा कंपनियों के लिये मार्च 2021 के दौरान विदेशी अपरोक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा को वर्तमान 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक बढाते हुए ऐसे एफडीआई के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराते हुए और मई 2021 में भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी-निवेश) संशोधन नियम, 201 की अधिसूचना के साथ उपरोक्त अधिनियम और नियमों में संशोधन के साथ इन विनियमों के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों के लिये संशोधन आवश्यक हो गये थे।

The Authority was informed that with the notification of the Insurance (amendment) Act, 2021 raising the Foreign Direct Investment (FDI) limits for the Indian insurance Companies from the existing 49 per cent to 74 per cent during March 2021 and notification of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2021 in May 2021 providing safeguards for such FDI, amendments to the following regulations were necessitated to harmonize the provisions of these regulations with the amendments in the Act and Rules as above.

1.आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000;

1.IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000;

2.आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण), 2015;

2.IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015;

3.आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यापार का लेन-देन करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी जारी करना) विनियम, 2015; और

3.IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance Business) Regulations, 2015; and

4.आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यापार के अतिरिक्त अन्य लेन-देन करने वाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी जारी करना) विनियम, 2015.

4.IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting other than Life Insurance Business) Regulations, 2015.

प्राधिकरण ने आगे नोट किया कि एफडीआई पालिसी में अनुवर्ती संशोधन जून 2021 में भी किये गये हैं। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् यह फैसला किया गया कि सभी हितधारकों के लिए कार्य साधकता के हित में नियमों में विनिर्दिष्ट सुरक्षा कवचों के साथ विदेशी निवेश में वृद्धि को प्रभावी बनाने वाले विनियमों में संशोधनों को यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाना चाहिये। ये संशोधन आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2021 के रूप में अधिसूचित किये जाएँगे।

The Authority further noted that the consequential amendments to the FDI policy have also been carried out in June 2021. After detailed deliberations, it was decided that in the interest of expediency for all stakeholders, the amendments to the said Regulations giving effect to the increase in foreign investment along with the safeguards specified in the Rules, should be notified at the earliest. These amendments shall be notified as the IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021.

चूँकि विनियमों में संशोधन केवल विधायी परिवर्तन प्रतिबिंबित करने के लिए किये जाने है, यह फैसला किया गया कि संशोधन विनियमों के प्रारूप को, हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए इंट्रानेट, वेबसाइट पर रखने और उनके सुझाओं के लिए बीमा सलाहकार समिति के सम्मुख रखने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जाय। तथापि, सलाहकार समिति को विनियमों में संशोधन के बारे में अवगत रखा जाए।

Since the amendments to the Regulations are intended to reflect only the legislative changes, it was decided that the requirement of placing the draft of the amendment Regulations on intranet, website, seeking comments from stakeholders and placing before Insurance Advisory Committee for their suggestions should be dispensed with. However, the Insurance Advisory Committee to be kept informed about the amendments to the Regulations.

कोई अन्य संशोधन, जो भी आवश्यक माना जाय अलग से किया जा सकता है।

Any other amendments, as may be considered necessary, can be taken up separately.

श्रीमती टीएल अलमेलु, पूर्णकालिक सदस्य को राजपत्र अधिसूचना के लिए आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2021 जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
Smt. T L Alamelu, Whole-time Member has been authorized to issue the IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021 for Gazette Notification.

10.अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) योजना में संशोधन

10. Modification in Leave Travel Concession (LTC) Scheme

प्राधिकरण ने एलटीसी योजना में किये गये संशोधन नोट किये।

The Authority noted the modifications made in the LTC scheme.

11.वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीधी भरती के माध्यम से नियुक्तियों के संबंध में `स्थिति नोट'

11.Status Note on appointments through direct recruitment in the financial year 2020-21

प्राधिकरण ने नोट किया

The Authority noted.

16.1 मार्च से 31 मई, 2021 तक अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गयी विदेश यात्राओं का विवरण

16. Statement of Foreign Tours Undertaken by Chairman and Members from 1st March to 31st May, 2021

प्राधिकरण ने विवरण नोट किया।

The Authority noted the statement.

19.कानूनी दायित्व को पूरा करने के संबंध में स्थिति नोट

19. Status note on fulfillment of legal obligations

प्राधिकरण ने कानूनी दायित्वों को पूरा करने के संबंध में स्थिति को नोट किया।

The Authority noted the status of fulfillment of legal obligations.

अध्यक्ष/Chairperson